

मध्यप्रदेश शासन  
आयुष विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
// आदेश //


भोपाल, दिनांक 26/07/2024

क्रमांक/एफ 03-79/2023/1/59 : राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के आदेश क्रमांक एफ/01/6/0001/2023/1/59 दिनांक 12/01/2023 द्वारा डॉ० अरविन्द तिवारी, विशेषज्ञ आयुर्वेद को 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर दिनांक 31/07/2023 से सेवानिवृत्त किया गया था। डॉ. तिवारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 11742/2023 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23/06/2023 द्वारा डॉ. तिवारी को 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने तक कार्य करने हेतु अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है।

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 1297/20214/22/नियम-4, दिनांक 03/08/2022 की सलाह पर मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 10-139/2021/1/59, दिनांक 03 अगस्त 2022 एवं दिनांक 19 अक्टूबर 2022 के क्रम में डॉ० अरविन्द तिवारी, विशेषज्ञ आयुर्वेद को अस्थायी रूप से न्यायालयीन आदेश के अधीन जिला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ किया जाता हैं। संबंधित जिले के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश के अध्याधीन निर्णय दिनांक 23/06/2023 से वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

प्रभारी अधिकारी द्वारा शासन का सशक्त पक्ष रखा जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(रंजना देवड़ा)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 26/07/2024

पृ. क्रमांक/एफ 03-79/2023/1/59 (2579)  
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 2- आयुक्त, आयुष संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
- 3- जिला कलेक्टर सीधी
- 4- संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग रीवा म.प्र.।
- 5- जिला आयुष अधिकारी, जिला सीधी।
- 6- जिला चिकित्सालय सीधी।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीधी।
- 8- कोर्ट संपर्क अधिकारी, जबलपुर।
- 9- डॉ० अरविन्द तिवारी, विशेषज्ञ आयुर्वेद
- 10- आदेश फाइल।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग